

कार्यालय:-जिला न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर (रूद्रपुर)

आदेश संख्या-195 / 2023

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं०-6334/UHC/Admin.B, Dated: 21.11.2023 एवं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पत्र दिनांकित: 06.11.2023 व मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु सं०-32 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय, ऊधम सिंह नगर में निम्नानुसार अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन किया जाता है:-

- (1) अपर जिला न्यायाधीश/नोडल ऑफिसर (कम्प्यूटर), रूद्रपुर – अध्यक्ष
- (2) प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०), रूद्रपुर – सदस्य
- (3) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (पंजी०सं०-UK5103/2004),
अधिवक्ता, जिला बार एसोसिएशन, रूद्रपुर – सदस्य
- (4) डी०एस०ए०/एस०ओ०/एस०ए०, जिला न्यायालय, रूद्रपुर – सदस्य
- (5) सुश्री रजिया, लिपिक, जिला न्यायालय, ऊधम सिंह नगर – सदस्य

3- कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विकलांग वकील/वादी/न्यायाधीश आदि को जिला न्यायालय, ऊधम सिंह नगर में फाईलिंग/न्यायालय दस्तावेज आदि तक उनकी पहुंच को सुलभ/सक्षम बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगी।

4- तदनुसार आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

दिनांक:-16.12.2023

(प्रेम सिंह खिमाल)
जिला न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर।